न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, छह, नवादा।

सत्र विचारण संख्या–62/11

145/19

बिहार राज्य ..... अभियोजन

बनाम

चांदो चौधरी एवं अन्य ..... अभियुक्तगण

आदेश

05.02.20 अभियुक्त चान्दो चौधरी की हाजिरी है। एक अभियुक्त राहुल चौधरी की ओर से धारा–317 द.प्र.सं. का आवेदन दिया गया है। जिसे आज के लिये स्वीकृत किया जाता है। अभियोजन की हाजिरी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह आवेदन दिनांक 18.11.19 को अधीन धारा–319 द.प्र.सं., के अन्तर्गत दाखिल कर इस प्रकरण में कृष्णा चौधरी उर्फ पराकन चौधरी एवं रवि कुमार का नाम अभियुक्तगण के रूप में सम्मिलित करते हुए उनके विरूद्ध सम्मन जारी करने के लिये निवेदन किया गया है।

आवेदन की प्रति बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की गयी है। जिसका प्रत्तयुतर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवकता द्वारा दिनांक 17.01.20 को दिया गया है। जिस पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है और प्रकरण आज उक्त आवेदन आदेश हेतु नीयत है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि इस मामले में विचारण चल रहा है। इस मामले में सूचक राम देव चौधरी द्वारा कुल छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी तथा अनुसंधान के उपरान्त दो अभियुक्तों चांदो चौधरी एवं राहुल कुमार पर आरोप पत्र संख्या–476/10 दिनांक–16.12.10 को समर्पित किया गया था। पूरक आरोप पत्र संख्या–349/11 दिनांक–06.08.11 को अभियुक्तगण दीपक कुमार एवं सूरज कुमार के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसमें अभियुक्तगण कृष्णा चौधरी उर्फ पराकन चौधरी एवं रवि कुमार को अनुत्प्रेषित किया गया है। प्राथमिकी एवं अनुसंधान के दौरान सूचक एवं अन्य साक्षियों ने अनुसंधानकर्ता के समक्ष धारा–161 द.प्र.सं. के बयान में अभियुक्तगण कृष्णा चौधरी उर्फ पराकन चौधरी एवं रवि कुमार के विरूद्ध भी प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य दिया है। फिर भी अनुसंधानकर्ता द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को अनुत्प्रेषित किया गया है। वर्तमान में मामले के विचारण के दौरान इस न्यायालय के समक्ष दस साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अ.सा.सं.–1, 2, 8, 9 एवं 10 के द्वारा इन दोनों अभियुक्तगण का नाम घटना कारित करने में लिया गया है। इस मामले में पाँच व्यक्ति जख्मी हुए हैं। इसलिए उपरोक्त तथ्यों एवं परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करते हुए उनके इस आवेदन को स्वीकार कर अभियुक्तगण कृष्णा चौधरी उर्फ पराकन चौधरी एवं रवि कुमार को इस मामले में विचारण करते हुए आहूत करते हुए उन्हें सम्मन किया जाये।

अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का यह आवेदन काफी देर से लाया गया है। पुलिस द्वारा किया गया अनुसंधान सही है और अभियुक्तगण कृष्णा चौधरी उर्फ

लगातार

05.02.20 पराकन चौधरी एवं रवि कुमार को पुलिस द्वारा सही ढ़ंग से अनुत्प्रेषित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किये गये साक्षियों का जो हवाला दिया गया है उन साक्षियों के साक्ष्य से ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शित नहीं होता है कि इन अभियुक्तों को विचारण हेतु इस मामले में आहूत किया जाये और इन साक्षियों का साक्ष्य इन अभियुक्तों के विरूद्ध अस्पष्ट है। इस कारण अभियोजन पक्ष के आवेदन में बल नहीं है और उनका आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस मामले में सूचक राम देव चौधरी द्वारा कुल छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी तथा अनुसंधान के उपरान्त दो अभियुक्तों चांदो चौधरी एवं राहुल कुमार पर आरोप पत्र संख्या–476/10 दिनांक–16.12.10 को समर्पित किया गया था। पूरक आरोप पत्र संख्या–349/11 दिनांक–06.08.11 को अभियुक्तगण दीपक कुमार एवं सूरज कुमार के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसमें अभियुक्तगण कृष्णा चौधरी उर्फ पराकन चौधरी एवं रवि कुमार को अनुत्प्रेषित किया गया है। इस मामले में कुल दस साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अ.सा.सं.–1 चांदो देवी का कथन है कि रड से कृष्णा चौधरी, सूरज चौधरी, दाहो चौधरी, राहुल, रवि, दीपक मेरे पति को मारा पीटा। अ.सा.सं.–2 सुमा देवी का कथन है कि राम कृष्णा रड से रामदेव को मार रहा था जिससे सिर फट गया। पंजड़ा तथा ठेहुना पर जख्म हुआ। रवि के हाथ में छुरा था उसने छुरा से वार किया। अ.सा.सं.–8 राम देव चौधरी, सूचक द्वारा कृष्णा चौधरी के बारे में कथन किया गया है कि वह खाना खा कर मशीन पर जा रहा था तो रास्ते में कृष्णा चौधरी, सूरज चौधरी माथा पर रड से मारा जिससे माथा फट गया। अ.सा.सं. –9 रंजीत कुमार का कथन है कि चांदो चौधरी के घर के पास गली में गया तो देखा कि चांदो, कृष्णा, सूरज चौधरी, राहुल, रवि व दीपक मिल कर मेरे पिता और मेरे परिवार प्रदीप कुमार, ममता देवी को मार रहे थे। अ.सा.सं.–10 ममता देवी का अपने साक्ष्य में कथन है कि मेरे पापा खाना खा कर पटवन हेतु मशीन पर जाने लगे तो सूरज, कृष्णा, राहुल, दीपक, रवि व चांदो चौधरी उन्हें छेंक लिये और मारपीट करने लगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि जिन साक्षियों के साक्ष्य का उदाहरण दे कर अभियोजन पक्ष द्वारा इन अभियुक्तों को सम्मन किये जाने का निवेदन किया गया है उन साक्षियों के द्वारा इन अभियुक्तों के विरूद्ध दिये गये साक्ष्य में कोई प्रत्यक्ष रूप से आरोप प्रस्तुत नहीं हुआ है।

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ–92, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा–319 द.प्र.सं. के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि सम्मन किया जाने वाला अभियुक्त सभी सम्भाव्यताओं में दोष सिद्ध होगा।

सुनील कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील संख्या–395/2019 में आदेश दिनांक 27.02.2019 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा–319 द.प्र.सं. में सम्मन तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय संतुष्ट हो जाये कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सम्मन किये जाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की ओर ले जाती है। अपराध किये जाने की प्रबल सम्भाव्यता से अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, छह, नवादा।

सत्र विचारण संख्या–62 / 11

145 / 19

बिहार राज्य ..... अभियोजन

बनाम

चांदो चौधरी एवं अन्य ..... अभियुक्तगण

लगातार

05.02.20 इस प्रकरण में प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य में इन अभियुक्तों की अपराध में संलिप्तता के बारे में सामूहिक रूप से कथन किये गये हैं। केवल इन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्धि की संभाव्यता की अभिकल्पना नहीं की जा सकती है। यह आवेदन काफी देर से लाया गया है।

गोपाल कृष्ण बनाम बिहार राज्य के कि.मिस. नंबर–665 / 82 में दिनांक 05.05.1986 में पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धारा–319 द.प्र.सं. के अन्तर्गत इस साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सम्मन किये जाने के आदेश मामले का विचारण शुरू होने के उचित समय के अन्दर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके मामले में प्रथम साक्ष्य आने के बाद ही आदेश कर देना चाहिएं यह उचित नहीं है कि लम्बे समय के विचारण के पश्चात् निर्णय सुनाये जाने के पहले, देर किये जाने का न्यायोचित आधार के बिना इस धारा के अधीन आदेश पारित किया जाये।

परिणामतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन अधीन धारा–319 द.प्र.सं. को सारहीन पाते हुए **अस्वीकृत** किया जाता है।

अभिलेख दिनांक 04.03.20 को साक्ष्य हेतु निश्चित।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या.,छह